# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (1)

## फर्द अहकाम

मु० न० 15/13 तारीख रजू 3/7/13

उनवान - चन्द्रभान बनाम जगदम्बा
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एड० ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी कर तलब किया जावे। पत्रावली 29/7/13 को पेश हो। 1512-19 / 5.7.13

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

29.7.13 वकील सायल / गैरसायल नं. 1 ता 3, 6, 8 की ओर से श्री राजकुमार सिंह एडv. वकालतनामा पेश किया। गैर सायल 4, 5, 7 उपस्थित नहीं उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दि० 8.8.13 को पेश हो।

चूंकि प्रतिवादीगण नं. 4, 5, 7 भारतीय सेना में नियुक्त है अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश वापस लेकर

# न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 टी0आई0 – 14/2013

तारीख रजू – 03.07.2013

**उनवान**

चन्दभान पुत्र धमोल जाति गुर्जर निवासी तिघरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

–प्रार्थी

**विरूद्ध**

1. जगदम्बा पुत्र वीरसिंह
2. राजा पुत्र मोला
3. जीवनसिंह पुत्र वीरसिंह
4. जागीर पुत्र निहालसिंह
5. राजवीर पुत्र निहाल
6. रामचरण पु. कलुआ
7. हरि पुत्र रामचरण
8. रामभान पुत्र रामचरण

समस्त जाति गुर्जर निवासी तिघरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

–अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा (स्टे)**

**उपस्थिति**

**श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट – प्रार्थी**

**अप्रार्थीगण – एकतरफा कार्यवाही**

**दिनांक :– 06.10.2015**

**निर्णय**

संक्षेप्त मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी चन्दभान ने एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0 नं0 161/530 रकवा 0.07 हेक्टयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता ग्राम सनमेलपाडा तहसील टोडाभीम मे स्थित है। हॉल रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे इस भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज है प्रार्थी की इस भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। प्रार्थी इस भूमि को अपनी खातेदारी की भूमि जो इस विवादित भूमि के पास स्थित है आने जाने के लिए रास्ते के लिए काम मे लेता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण असामाजिक तत्व है तथा प्रार्थी की इस भूमि खसरा नं0 161/530 पर जबरन कब्जा करने की नीयत से तथा प्रार्थी के खेतो पर आने जाने के रास्ते को रोकने की नीयत से आज से करीब एक महीना पूर्व अप्रार्थीगण ने आठ फीट उचा डण्डा कर दिया है तथा घूडा, बबूल के ढाकर डालकर रास्ता रोक दिया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के रास्ते की भूमि मे किये गये अतिक्रमण को हटवाने की लिखित आवेदन पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार टोडाभीम ने मौके की रिपोर्ट पटवारी द्वारा मगबाई गई तथा रिपोर्ट मे स्पष्ट लिखा है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तथा प्रार्थी को तहसीलदार टोडाभीम ने दिनांक 04.06.2013 को पत्र द्वारा सूचित किया है कि सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करो, इसलिये

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि मे नाजायज तरीके से अतिक्रमण किया गया है। प्रार्थी एक समझदार वृद्व व इज्जतदार आदमी है तथा इसी रास्ते के बगल मे शहीद दिलीपसिंह की प्रतिभा भी बनी हुई है जिसका उदघाटन भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा इस अतिक्रमण से प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि पर आने जाने का रास्ता बंद हो गया है इसलिये अप्रार्थीगण का अवैध कब्जा शीघ्र ही हटाया जाना अतिआवश्यक है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से आज से एक महीना पूर्व यानि दिनांक 07.05.2013 को कहा कि भाईयो मेरी इस भूमि पर आपने जबरदस्ती अतिक्रमण किया है इसको आप हटा लो, इस पर वे इन्कार हो गये और कब्जा बनाये रखने की एलानिया धमकी दी, इसलिये यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस साबित है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है, यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगीं जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नही है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा (स्टे) पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाये कि वे प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नं0 161/530 रकवा 0.07 हेक्टयर स्थित ग्राम रनमलपाडा तहसील टोडाभीम मे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही करें तथा नाही कोई निर्माण कार्य करें नाहि प्रार्थी के रास्ता के आवागमन मे रूकावट पैदा करें।

यह प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर सम्मन अप्रार्थी जारी किये गये, अप्रार्थी नं0 1, 2, 3, 6, 8 की तरफ से श्री राजकुमार सिंह राजावत के वकालतनामा पेश किया तथा जबाब को समय चाहा इसके उपरांत दिनांक 01.09.2015 को इनकी तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ। एकतरफा कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी नं0 4, 5, 7 बाबजूद तामील उपस्थित नही, इनके खिलाफ 07.08.2015 को एक तरफा कार्यवाही की गई तथा पत्रावली बहस टी0आई0 मे रखी गई। वकील सायल ने अपने दस्तावेजी सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 तक तथा कार्यालय तहसीलदार टोडाभीम की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.06.2013 नकल प्रस्तुत की।

वकील सायल ने दौराने बहस अपने प्रार्थनापत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र मे दर्ज खसरा नम्बर के संबंध मे अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा प्रार्थनापत्र मे दर्ज रिलिफ के अनुसार पाबंद किया जायें।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। भूमि खसरा नं0 161/530 रकवा 0.07 एयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता स्थित ग्राम रनमलपाडा तहसील टोडाभीम की मौजूदा रिकार्ड मे खातेदारी प्रार्थी के नाम है। कार्यालय तहसीलदार टोडाभीम की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.06.2013 मे स्पष्ट रूप से लिखा है कि अप्रार्थीगण ने इस भूमि मे पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रखा है तथा कूडा आदि डाल दिया है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि भूमि खसरा नं0 161/530 रकवा 0.07 हेक्टयर किस्म गैर मुमकित रास्ता स्थित ग्राम रनमलपाडा तहसील टोडाभीम मे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही करें तथा नाही कोई निर्माण कार्य करें नाहि प्रार्थी के रास्ता के आवागमन मे रूकावट पैदा करें।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर, टोडाभीम

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner